RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक १७] गुरुवार, जून २५, २०१५/आषाढ ४, शके १९३७ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २६

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

राजस्व तथा वन विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुम्बई ४०० ०३२, दिनांकित १२ जून २०१५।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XI OF 2015.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA ENTERTAINMENT DUTY ACT.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ११ सन् २०१५।

महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम में अधिकतर संशोधन संबंधी अध्यादेश ।

क्योंकि राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

सन् १९२३ का १ । **और क्योंकि** महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खंड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ कहलाये ।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

सन् १९२३ का १ की धारा ४ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहाँ गया है) की धारा ४ की उप-धारा (३) में " और धारा ५ के " शब्द और अंक अपमार्जित किये जायेंगे। सन् १९२३ का १ ।

सन् १९२३ का १ की धारा ४ख में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ४ख की, उप-धारा (४) में, " और निदेश भी दे सकेंगे " शब्दों से प्रारंभ होनेवाले और " उस रकम के डेढ़ गुना " शब्दों से समाप्त होनेवाले प्रभाग के स्थान में " और स्वत्वधारी इस प्रकार निर्धारित शुल्क की रकम के अतिरिक्त धारा ५ के अनुसार शास्ति का भुगतान करने का भी दायी होगा " शब्द और अंक रखे जायेंगे।

सन् १९२३ का १ की धारा ५ का प्रतिस्थापन।

४. मूल अधिनियम की धारा ५ में यथा निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

धारा ४ के अननुपालन के लिये दंड।

" (५) (१) यदि कोई व्यक्ति मनोरंजन के किसी स्थान में प्रवेशित है और धारा ४ के उपबंधो का अनुपालन नहीं करता है, तब मनोरंजन का स्वत्वधारी को, जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रवेशित है, मनोरंजन शुल्क, जिसका भुगतान करना ही है, के अतिरिक्त, कलक्टर को प्रत्येक ऐसे अननुपालन के लिये, पचास हजार रुपये के समान शास्ति या ऐसे मनोरंजन शुल्क के दस गुना, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने का भी दायी होगा ।

परंतु, कलक्टर द्वारा ऐसे स्वत्वधारी को जब तक सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया नहीं जाता तब तक स्वत्वधारी को ऐसी शास्ति का भुगतान करना आवश्यक है, का कोई आदेश नहीं निकाला जायेगा।

(२) इस धारा के अधीन कलक्टर द्वारा बनाया गया प्रत्येक आदेश धारा १०क के अधीन अपीलीय होगा। " ।

सन् १९२३ का १ की धारा १०क में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा १०क की उप-धारा (१) में, " धारा ४ ख के अधीन " शब्दों, अंको और अक्षरों के पश्चात, " या धारा ५ के अधीन आदेश " शब्द और अंक निविष्ट किये जायेंगे।

कठिनाईयों के निराकरण करने की शक्ति।

६. (१) इस अध्यादेश द्वारा, यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा, इस अध्यादेश के उपबंधों से अनसंगत कोई ऐसे निदेश दे सकेगी जो, कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनो सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

वक्तव्य

महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम (सन् १९२३ का १) राज्य में मनोरंजन के विभिन्न प्रकारों और प्ररुपों पर मनोरंजन शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए उपबंध करता है। उक्त अधिनियम की धारा ५ यह उपबंध करती है कि, यदि, कोई व्यक्ति मनोरंजन के किसी स्थान में प्रवेशित है और धारा ४ के उपबंधों का अनुपालन नहीं करता है तो मनोरंजन सत्वधारी का जो ऐसी व्यक्ति प्रवेशित है तो दोषसिद्धि पर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रत्येक अपराध के संबंध में पचास हजार रुपयों से कम न हो इतने जुर्माने से या राजस्व हानि के दस गुना जो भी अधिक हो, दण्डित होगा। तथापि, मॅजिस्ट्रेट के समक्ष सत्वधारी की दोषसिद्धि प्रायः समय लेनेवाली और जुर्माने और उसकी वसूली के अधिरोपन में विलंब करनेवाली है।

२. धारा ४ के उपबंधों के अननुपालन के मामले में तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य में उक्त अधिनियम की धारा ५ प्रतिस्थापित करने का प्रस्तावित किया गया। ताकि, मनोरंजन के स्वत्वधारी पर ऐसे अननुपालन के लिए उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् शास्ति अधिरोपित करने के लिये, कलक्टर को सशक्त किया जा सके। उक्त अधिनियम की धारा १०क में यथोचित संशोधन द्वारा धारा ५ के अधीन पारित कलक्टर के ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील करने के लिए भी उपबंध प्रस्तावित किये गये है।

३. किसी मनोरंजन जिसके संबंध में शुल्क देय है, संबंधी विवरणियाँ न देने के लिये दो विभिन्न शास्तियों के परिहार करने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम की धारा ४ ख की उप-धारा ४ में यथोचित संशोधन करने के लिये प्रस्तावित किया गया है।

४. क्योंकि, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम (सन् १९२३ का १) में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है ।

मुम्बई,

दिनांकित १२ जून २०१५।

चे. विद्यासागर राव,

महाराष्ट्र के राज्यपाल ।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से।

मनु कुमार श्रीवास्तव,
सरकार के प्रधान सचिव ।

(यथार्थ अनुवाद)

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.